सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 62 / 2016 अपील
पंजीयन दिनांक – 11–08–2016
निर्णय दिनांक – 23–01–2018

श्री मोहनसिंह पिता हीरसिंह जी राजपूत (ऊंटड़) निवासी हिरावतों की भागल भुताला, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती प्रेमी पुत्री हीरसिंह जी पत्नी पूनमसिंह जी राजपूत, निवासी वरदा की भागल, फतहपुर, जिला उदयपुर
2. श्रीमती केसर पुत्र हीरसिंह जी पत्नी चन्दनसिंह जी राजपूत, निवासी नाथावतों की भागल,, भुताला तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती प्यारी पुत्री हीरसिंह जी पत्नी मांगूसिंह जी राजपूत, निवासी जरमदारड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती मीरा पुत्री हीरसिंह जी पत्नी किशनसिंह जी राजपूत , निवासी नेतावतो की भागल, तहसील गोगुन जिला उदयपुर।
5. श्री भंवरी पुत्री दौला जी पत्नी रतनसिंह जी राजपूत, निवासी खरबडों को गुड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपर।
6. अनछाई पुत्र दौला जी पत्नी सोहनसिह जी राजपूत, निवासी वालावतों की भागल, भुताला, तहसील बड़गांव जिला उदयपुर।
7. श्रीमती मानी पुत्र दौला जी पत्नी उदयसिंह जी राजपूत, निवासी वालावतों की भागल , भुताला, तहसील गोगुंन्दा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती देवली उर्फ देऊ पुत्री दौला जी पत्नी वरदीसिंह जी राजपूत, निवासी मोड़ी तहसील गोगुन्दा, जिला उदयप

–रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित–

1– श्री परमेश्वर पण्ड्या – अधिवक्ता अपीलान्ट

2– श्री मनीष शर्मा – अधिवक्ता रेस्पोंडेंन्ट संख्या 1 से 4. (अनु.)

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 17.06.2016 प्र.सं. 14/2015.

निर्णय

दिनांक 23.01.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा दिनांक 17.06.2016 प्र.सं. 14/2015. के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हिरावतों की भागल पटवार हल्का भूताला के वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार स्व.श्री दौला पिता भीमाजी उठड़ थे। स्व. श्री दौला की मृत्यु पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 242 स्व. श्री दौला के सभी वारीसान के नाम दर्ज कर ग्रम पंचायत भूताला के कोरम दिनांक 05.11.2004 को पेश किया गया। कोरम में श्री मोहनसिंह (अपीलान्ट) द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामे के निर्णय बाबत आगामी कोरम में पेश करने का आदेश सरपंच ग्रम पंचायत भूताला द्वारा दिया गया। ग्रम पंचायत भूताला द्वारा दिनांक 20.11.2004 को कोरम में वसीयत एवं दौला की स्वअर्जित भूमि होने की पुष्टि करते हुए नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 20.11.2004 को स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश की प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 ने न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा मे प्रस्तुत की। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा ने आदेश दिनांक 17.06.2016 से उपरोक्त नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को रिमाण्ड़ कर निर्देशित किया कि हीरसिंह के सभी विधिक वारीसानों की जाचं कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पों. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 09.01.2018 को सुनी गई तथा वकील रेस्पोंडेन्ट को एक सप्ताह में लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। वकील रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने आज दिनांक 22.01.2018 को लिखित बहस पेश की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने पूर्व में उपरोक्त नामान्तरकरण की अपील दिनांक 15.06.2006 को उपजिला कलक्टर गिर्वा के यहॉ पेश की थी, जिसके प्रकरण संख्या 20/2006 होकर वह अपील चार साल चलने बाद दिनांक 29.03.2010 को उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा आदेश दिया गया कि अपील से सम्बन्धित एक वाद प्रकरण संख्या 177/03 देवीसिंह बनाम मोहनसिंह न्यायालय में विचाराधीन होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.05.2010 की नियत है। दावे के निस्तारण तक इस अपील में कार्यवाही पेण्डिग रखी जावे अतः ताफैसला दावा तक इस प्रकरण को पेण्डिग रखा जाकर दावे के फैसले के अनुसार कार्यवाही की जावे। प्रकरण फैसल होकर दफतर दाखिल हो। रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने उक्त आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरुद्ध कोई अपील पेश नही की गई। दुबारा नई अपील सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर के यहॉ उसी नामान्तरकरण के विरुद्ध पेश कर उसमें पूर्व अपील के सारे तथ्यों को छिपाकर धारा 5 मयाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र बिल्कूल झूंठा व बनावटी तथ्य लिख कर अपील पेश कर दी गई । कथित जमीन के मौजूदा अपीलान्ट ही मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार है तथा मौका देख लिया जावे तो यह स्पष्ट होगा कि इस जमीन पर अपीलान्ट अकेले का कब्जा है। रेस्पों. का कथित जमीन से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। रेस्पों. संख्या 1 से 4 ने इस मामले में तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के साथ भी धोखाधड़ी की है। जबकि कानूनन पूर्व में अपील में दिये गये फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष नाराज हो तो न्यायालय में अपील पेश की जा सकती थी। परन्तु मौजूदा रेस्पों. ने न्यायालय को धोखा देकर निर्णय करवाया जो स्पष्ट रुप से तय करने में भारी भूल की है। उक्त निर्णय केम्प भूताला पर पारित किया गया उसमें भी श्री मोहन सिंह ने उक्त नामान्तरकरण का निर्णय पूर्व में हो चुका है यह कथन केम्प भुताला पर बताया गया। फिर भी नई अपील में इस तथ्य को छिपाया जाकर दुबारा निर्णय किया

गया है जो विधि विरुद्ध है। जबकि केम्प दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय करने हेतु लगाये गये थे। मौजूदा अपीलान्ट ने समय चाहा गया परन्तु बाद में उस तारीख में ही आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार पुरानी अपील के तथ्यों को छिपाते हुए नई अपील पुनः पेश कर निर्णय पारित कराया जाना विधि सम्मत नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 20.11.2004 को बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. ने लिखित बहस में बताया कि श्री हीरसिंह का स्वर्गवास सन् 1956 के बाद हुआ जिसमें गलती से नामान्तरकरण केवल मोहनसिंह के नाम खोल दिया गया, जिसकी अपील उप जिला कलक्टर उदयपुर के न्यायालय में पेश की गई। जिसमें नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 05.11.2004 को खारिज करने का आदेश दिया गया तथा प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को रिमाण्ड़ कर निर्देशित किया कि हीरसिंह के सभी विधिक वारीसानों की जाचं कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। जिस पर विधिवत नामान्तरकरण खोल दिया गया यानि उप जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश की पालना हो चुकी है। श्री मोहनसिंह द्वारा जो अपील पेश की गई है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक प्रावधानों के खिलाफ पेश की गई है। स्व. हीरसिंह का एक मात्र वारिस न होकर उनकी लड़किया भी विधिक वारिस है ऐसी स्थिति में उक्त अपील हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विधिक उपबन्धों के खिलाफ गलत व मिथ्या आधार बनाकर पेश की गई है जिसे खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि कभी भी भीमा के नाम पर नहीं रही तथा मूल पुरुष श्री दौला के नाम पर दर्ज थी व दौला ने अनरजिस्टर्ड वसीयत श्री मोहनसिंह के नाम पर की गई थी। इसी आधार पर ग्रम पंचायत भूताला ने वादग्रस्त भूमि दौला की स्वअर्जित मानकर वसीयत ग्रहिता श्री मोहन सिंह के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 05.11.2004 को स्वीकृत किया गया। यह भी बताया कि उक्त नामान्तरकरण की अपील वर्ष 2006 में उप जिला कलक्टर गिर्वा के न्यायालय में दर्ज होकर पेण्डिग रखे जाने

का आदेश दिया गया, किन्तु रेस्पों. ने पुनः वर्ष 2014 में अपील दर्ज कराई गई जो विधि विपरित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किये जाने में भारी भूल की है। विद्वान वकील रेस्पों. का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मौरुसी होकर मूल पुरुष दौला के भंवरी, मानी, अन्छाई , देऊ एवं हीरसिंह वारिस थे, श्री हीरसिंह के फौत होने से हीरसिंह के वारिस श्री मोहन सिंह , प्रेमी, केसर, प्यारी व मींरा है। किन्तु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नामान्तरकरण पारित नहीं किया जाकर श्री मोहनसिंह के नाम पर ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार बड़गांव को रिमाण्ड़ किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है और जहां वसीयत विवादित हो उसे तय करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। जिससे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर